

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या: 17/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आर.ए.पी.सी. द्वितीय, चित्रकूट, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. राधेश्याम सोनी पुत्र श्री चोखराज सोनी  
पता-प्लॉट नं. 64-ए, ब्रज मण्डल कालोनी, शान्ति मैरिज गार्डन, 100 फिट रोड, वार्ड नं. 9,  
झोटवाडा जयपुर एवं  
मैसर्स ब्रजराज ज्वैलर्स, 100 फिट रोड, के के होजरी के पास, झोटवाडा, जयपुर।
2. सत्यनारायण सोनी पुत्र श्री चोखराज सोनी  
पता-73, करणी नगर, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण ऋणी

The application under section 14 of the Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act. 2002



उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री हेमन्त सिंघल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

आदेश

दिनांक : 02.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.12.2003 एवं 24.08.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राधेश्याम सोनी पुत्र श्री चोखराज सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 64-ए, ब्रज मण्डल कालोनी, शान्ति मैरिज गार्डन, 100 फिट रोड, वार्ड नं. 9, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 133.50 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 6,00,000/-रूपये एवं 9,45,000/-रूपये कुल राशि 15,45,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त सिंघल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रति चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने बैंक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रति चाही है। सफरेशी एक्ट के तहत ऋणी को धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 15,45,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 12,87,086/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 06.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री राधेश्याम सोनी पुत्र श्री चोखराज सोनी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 64-ए, ब्रज मण्डल कालोनी, शान्ति मैरिज गार्डन, 100 फिट रोड, वार्ड नं. 9, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 133.50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजन विशाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर